

ए.17020 / 15 / 2020-एम.एच.2 / एन.सी.डी.-1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1


निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: नवम्बर, 2022

जन-सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी-1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


14/11
(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं 011-2306 2666

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई(श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम,1968 को, जहाँ तक उसका संबंध चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-
 - जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	01'(2022) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र या समाज कार्य या विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ख) चिकित्सीय सामाजिक कार्यों में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में मास्टर डिग्री के साथ चिकित्सा और मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्य या परिवार एवं बाल कल्याण या जेनरिक में विशेषज्ञता; टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले ठ यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>पुष्टि के लिए विभागीय पुष्टि समिति -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक(पुनर्वास) - सदस्य; 3. प्रोफेसर(पीएमआर) - सदस्य; 4. प्रध्यापक(एमएसडब्ल्यू) - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

ए.17020/15/2020-एमएच II

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार